अविप्रा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर अविप्रा

क्रंमाक / अविप्रा / सचिव / 2022 / 8308-24 दिनांक 7-10-2022

बैठक कार्यवाही विवरण

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 24 वी. प्राधिकरण बैठक दिनांक 28.09.2022 को अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1. *श्रीमान अंशदीप आईएएस, जिला कलक्टर, अजमेर।*
2. *श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।*
3. *श्री किशोर कुमार, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।*
4. *श्री मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।*
5. *श्री सुधीरचन्द्र कुमार उपाध्याय, अधिक्षण अभियन्ता, अ.वि.वि.एन.एल. अजमेर।*
6. *श्री अशोक तंवर, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।*
7. *श्री कमल पाठक, अध्यक्ष नगरपालिका पुष्कर,, अजमेर।*
8. *श्री राजीव कुमार अधीक्षण अभिंयता, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, अजेमर।*

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यगणों का सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त अजमेर विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 04.04.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना से अवगत करवाया गया ।

इसके पश्चात् बिन्दुवार ऐजेण्डा के समस्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही प्रांरम्भ कर निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिये गये:–

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक / अविप्रा / सचिव / 2022 /   दिनांक

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की दिनांक 28.09.2022 को आयोजित की गई 24 वीं प्राधिकरण बैठक हेतु । (कार्यवाही विवरण) :—

प्रस्ताव संख्या	*विवरण*	*अनुभाग*
1	दिनांक 04.04.2022 को आयोजित प्राधिकरण की 23 वी. बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि । निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से गत बैठक दिनांक 04.04.2022 की प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।	सचिव किशोर कुमार (RAS) सचिव अ.वि.प्रा., अजमेर
2	परिचलन प्रस्ताव में से पूर्व में पारित किये गये प्रस्ताव अनुमोदन :— दिनांक 12.05.2022, 08.06.2022, 08.07.2022, 31.08.2022 के प्रस्तावों का अनुमोदन। (1) दिनांक 12.05.2022 को आयोजित परिचलन बैठक के मूल कार्यवाही विवरण पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–1) (2) दिनांक 08.06.2022 को आयोजित परिचलन बैठक के मूल कार्यवाही विवरण पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–2) (3) दिनांक 08.07.2022 को आयोजित परिचलन बैठक के मूल कार्यवाही विवरण पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–3) (4) दिनांक 31.08.2022 को आयोजित परिचलन बैठक के मूल कार्यवाही विवरण पुष्टि एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–4) उपरोक्त 4 परिचलन बैठकों में लिये गये प्रस्ताव पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। निर्णयः— सर्वसम्मति से परिचलन प्रस्तावों की पुष्टि की गई।	सचिव किशोर कुमार (RAS) सचिव अ.वि.प्रा., अजमेर
3	ग्राम बडल्या एवं ग्राम हाथीखेडा को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन / हस्तान्तरण पर चर्चा। राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रम प.2(30) / नविवि / / 3 / 2016–पार्ट है दिनांकः13.04.2017 तथा नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(30) / नविवि / 03 / 2016 पार्ट–जयपुर दिनांक 19.06.2017 की पालना में उपखण्ड अधिकारी एवम् शिविर प्रभारी उपखण्ड अजमेर के आवेदन पर बोर्ड बैठक में स्वीकृती की प्रत्याशा में सक्षम स्तर से अनुमोदित अजमेर विकास प्राधिकरण के परिधीय ग्रामों में निम्न सूची अनुसार सम्बंधित ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु निम्नाकिंत सूची अनुसार हस्तांतरण किए गये है, जो बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैः—	तहसीलदार अविप्रा (आबिद अली) तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हैक्ट. में)	आवंटन हेतु रकबा	किस्म	स्वामित्व
1	बडल्या	बडल्या	5296	0.09	0.09	बीड़	अ.वि.प्रा.
2			5301	0.20	0.20	बीड़	अ.वि.प्रा.
3			5302	0.01	0.01	बीड़	अ.वि.प्रा.
4			5304	0.05	0.05	बीड़	अ.वि.प्रा.
	योग		किता 4		0.35		
5	हाथीखेडा	बोराज काजीपुरा	1063	0.12	0.12	बीड़	अ.वि.प्रा.
6			1067	0.08	0.08	बीड़	अ.वि.प्रा.
	योग		किता 2		0.20		
7	सेदरिया	सेदरिया	1433	1.94	1.94	गै.मु. पहाड़	अ.वि.प्रा.
	योग		किता 1		1.94		

तहसीलदार अविप्रा ने सदन को अवगत कराया कि यह प्रस्ताव बोर्ड की अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव बोर्ड बैठक मे निर्णयार्थ/पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

(आविंद ...) तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से पुष्टि की।

4 अ **मैसर्स श्री श्याम डवलपर्स केयर ऑफ स्वास्तिक एंटरप्राईजेज, बालाजी की बगीची, रूपनगढ रोड, किशनगढ़ जरिये अधिकृत प्रनिनिधि भागीरथ चौधरी पुत्र रामचन्द्र चौधरी, मुन्नी देवी अग्रवाल पत्नी जय नारायण एवं सतीश अग्रवाल पुत्र मनोहर लाल अग्रवाल, निवासी– मदनगंज, किशनगढ द्वारा ग्राम माकड़वाली के खसरा संख्या 3774, 3775, 3773, 3790, 3791, 3792 का मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत व खसरा नम्बर 3779, 3778, 3777, 3776 का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क कराने हेतु प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 3779/4192 की 145.75 वर्गमीटर भूमि आवेदक द्वारा मार्गाधिकार के रूप मे चाहने बाबत 145.75 वर्गमीटर भूमि सशुल्क दिनांक 27.02.2021 के सरक्युलर के आधार पर रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पर चर्चा।** — उपायुक्त उत्तर

(...िताभ कुमार आदित्य) उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

संयुक्त शासन सचिव प्रथम, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांकः– प. 1(15) नविवि/जयपुर/2021 जयपुर, दिनांक 27.06.2021 के क्रम में ऐसे राजकीय/विभागीय/नगरीय निकायों की भूमि, जो आवेदक/खातेदार की निजी भूमि एवं सड़क मार्गाधिकार के मध्य प्लाण्टेशन कॉरिडोर या भूमि पट्टी के रूप में स्थित है। इस भूमि का स्वतंत्र उपयोग राजकीय विभाग/नगरीय विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसी भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु संबंधित खातेदार/आवेदक को आवासीय आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर, उपयोग हेतु निम्नांकित शर्तो पर अनुमत करने की कार्यवाही की जावे–

1. कम से कम 15 दिवस की आपति/सुझाव आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी की जावें।

2. उक्त भूमि केवल रास्ता उपयोग हेतु अनुमत होगी।

3. सड़क मार्ग मार्गाधिकार पर स्वामित्व विभाग/नगरीय निकाय के नाम यथावत रहेगा।

4- उक्त भूमिका भविष्य में मिलने वाला कोई भी मुआवजा प्रार्थी को देय नहीं होगा।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः– अ.वि.प्रा/प.8/भू.अ./प्रं.सं–/2022/761 दिनांक–16.06.2022 के क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 18.06.2022 को राष्ट्रदूत दैनिक समाचार पत्र में लोकसूचना 15 दिवस में आपत्ति हेतु प्रकाशित करवायी गई, जिस पर आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। बिन्दु संख्या 2,3,4 के संबंध मे प्रार्थी से पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। भू–अभिलेख शाखा व लेखा शाखा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार आवेदित भूमि व मास्टर प्लान की सड़क के मध्य 145.75 वर्गमीटर भूमि रास्ते से प्रभावित होती है, जिसकी वर्तमान आरक्षित दर के अनुसार राशि का आवेदक को मांगपत्र जारी किये जाने हेतु अनुशंषा की गई है।

समीपस्थ योजना विजय राजे सिंधिया नगर की वर्तमान आरक्षित दर 10470 प्रति वर्गमीटर है। जिसके अनुसार प्रार्थी से ली जाने वाली कुल राशि 145.75 वर्गमीटर X 10470 रूपये प्रति वर्गमीटर = 15,26,002/– रूपये बनती है। उपरोक्त भूमि का किस्म परिवर्तन कर गै.मु.रास्ता किया जायेगा, जिसका स्वामित्व ADA का रहेगा। इसका उपयोग केवल रास्ते हेतु ही अनुमत रहेगा।

प्रस्ताव बोर्ड बैठक मे निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को निम्न तथ्यों की अनुपालना सुनिश्चित कर लेने की शर्त के साथ अनुमोदन किया ।

1. रास्ते हेतु दी जा रही भूमि का मूल्य डीएलसी दर एवं आरक्षित दर में से जो भी अधिक हो उस पर दी जाये।

2. प्रार्थी को दिये जा रहे रास्ते के अतिरिक्त भूमि मे जाने का कोई अन्य पहुंच मार्ग उपलब्ध न हो।

हरिताभ कुमार आदित्य
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

4 ब — **राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा संख्या 638, 639, 640, 641 एवं 647 के विचाराधीन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ मास्टर प्लान की रोड के मध्य प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि सशुल्क दिनांक 27.02.2021 के सरक्युलर के आधार पर रास्ता दर्ज किये जाने बाबत्।** — उपायुक्त उत्तर

आवेदक चन्द्रेश, कविता, कृष्णा, यतेन्द्र चौहान द्वारा राजस्व ग्राम हाथीखेड़ा के खसरा संख्या 638, 639, 640, 641 एवं 647 के पूर्व माध्यमिक विद्यालय (मिडिल स्कूल) शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 90–ए के तहत विचाराधीन होने एवं पहुंच मार्ग बाबत् प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि आवंटन बाबत् निवेदन किया गया है। नियोजन शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालय (मिडिल स्कूल) बाबत् न्यूनतम सड़क 60 फीट होना आवश्यक है। आवेदक के भूखण्ड के सामने एडीए स्वामित्व की भूमि पश्चात् मास्टर प्लान की 60 फीट सड़क पहुच मार्ग के तहत उपलब्ध है।

हरिताभ कुमार आदित्य
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

संयुक्त शासन सचिव प्रथम, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांकः– प.1(15) नविवि/जयपुर/2021 जयपुर, दिनांक 27.06.2021 के क्रम में ऐसे

राजकीय/विभागीय/नगरीय निकायों की भूमि, जो आवेदक/खातेदार की निजी भूमि एवं सड़क मार्गाधिकार के मध्य प्लाण्टेशन कॉरिडोर या भूमि पट्टी के रूप में स्थित है एवं इसका दिनांक 13.01.2022 को मौका निरीक्षण उपायुक्त उत्तर द्वारा कराया गया, इस भूमि का स्वतंत्र उपयोग राजकीय विभाग/नगरीय विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसी भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु संबंधित खातेदार/आवेदक को आवासीय आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर, उपयोग हेतु निम्नांकित शर्तो पर अनुमत करने की कार्यवाही की जावे–

1. कम से कम 15 दिवस की आपति/सुझाव आमंत्रित करने की विज्ञप्ति जारी की जावें।
2. उक्त भूमि केवल रास्ता उपयोग हेतु अनुमत होगी।
3. सड़क मार्ग मार्गाधिकार पर स्वामित्व विभाग/नगरीय निकाय के नाम यथावत रहेगा।
4. उक्त भूमिका भविष्य में मिलने वाला कोई भी मुआवजा प्रार्थी को देय नहीं होगा।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांकः– अ.वि.प्रा/प.8/भू.अ./प्रं.सं–/2021/13747 दिनांक–27.12.2021 के क्रम में आवेदक द्वारा दिनांक 30.12.2021 को राष्ट्रदूत दैनिक समाचार पत्र में लोकसूचना 15 दिवस में आपत्ति हेतु प्रकाशित करवायी गई, जिस पर आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है। आवदेकगण द्वारा नगरीय विकास विभाग के उक्त परिपत्र की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। भू–अभिलेख शाखा व लेखा शाखा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार आवेदित भूमि व मास्टर प्लान की सड़क के मध्य 158.1 वर्गमीटर भूमि रास्ते से प्रभावित होती है, जिसकी वर्तमान आरक्षित दर के अनुसार राशि का आवेदक को मांगपत्र जारी किये जाने हेतु अनुशंषा की गई है।

समीपस्थ योजना बी.के.कॉल नगर की वर्तमान आरक्षित दर 6060 प्रति वर्गमीटर है। जिसके अनुसार प्रार्थी से ली जाने वाली कुल राशि 158.10 वर्गमीटर X 6060 रूपये प्रति वर्गमीटर = 9,58,086/– रूपये बनती है। उपरोक्त भूमि का किस्म परिवर्तन कर गै.मु.रास्ता किया जायेगा, जिसका स्वामित्व ADA का रहेगा। इसका उपयोग केवल रास्ते हेतु ही अनुमत रहेगा।

अ
हरिताभ कुमार आदित्य
उपायुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को निम्न तथ्यों की अनुपालना सुनिश्चित कर लेने की शर्त के साथ अनुमोदन किया ।

1. रास्ते हेतु दी जा रही भूमि का मूल्य डीएलसी दर एवं आरक्षित दर में से जो भी अधिक हो उस पर दी जाये।
2. प्रार्थी को दिये जा रहे रास्ते के अतिरिक्त भूमि मे जाने का कोई अन्य पहुंच मार्ग उपलब्ध न हो।

90 ए के लिये आवेदक को पहुंच मार्ग प्रदान करने के लिये आवेदक के भूमि के एवं सड़क के बीच में अविप्रा की भूमि पडने पर उसे नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमाक प.1(15)नविवि/जयपुर/2021 जयपुर दिनांक 27.02.2021 के आदेशानुसार आदेश में वर्णित शर्तो की कार्यवाही करते हुये अविप्रा की कीमतन पहुंच मार्ग हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संदर्भ मे प्रस्ताव पर चर्चा। श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, प्रथम के पत्र क्रमांक प.1 (15) नविवि/जयपुर/2021दिनांक 27.02.2021 अनुसार ऐसी राजकीय/विभागीय/नगरीय निकायो की भूमि जो आवेदक/ खातेदार की निजी भूमि एवं सडक मार्गाधीकार के मध्य प्लान्टेशन कॉरिडोर या भूमि पट्टे के रूप मे स्थित है एवं जिसका स्वतंत्र उपयोग राजकीय/विभागीय/नगरीय निकाय द्वारा नही किया जा सकता ऐसी भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु खातेदार/आवेदक को आवासीय आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर उपयोग हेतु अनुमति जारी की जायेगी। (आदेश सलंग्न) उक्त आदेश के क्रम मे आवेदको द्वारा अविप्रा में बार–बार कई आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। चूंकि प्राधिकरण बैठक का आयोजन हर समय नही किया जा सकता, जिसके कारण उक्त प्रकार के प्रकरणो मे विलम्ब होता है एवं राज्य सरकार की छवि खराब होती है। अतः प्राधिकरण की उक्त शक्तियां प्राधिकरण की ले–आउट प्लान कमेटी को हस्तान्तरित की जाती है तो उक्त प्रकार के प्रकरणो मे शीघ्र कार्यवाही की जा सकती है एवं आवेदको को शीघ्र लाभ मिल सकेगा। ले–आउट प्लान कमेटी में लिये गये ऐसे समस्त निर्णयों का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय द्वारा कराया जाना आवश्यक होगा। अतः ऐसी राजकीय/विभागीय/नगरीय निकाय की भूमि जो आवेदक/खातेदार की निजी भूमि एवं सडक मार्गाधीकार के मध्य प्लान्टेशन कॉरिडोर या भूमि पट्टे के रूप मे स्थित है एवं जिसका स्वतत्र उपयोग राजकीय/विभागीय/नगरीय निकाय द्वारा नही किया जा सकता ऐसी भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु खातेदार/आवेदक को आवासीय आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर उपयोग हेतु अनुमती जारी करने की प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की शक्तियो को ले–आउट प्लान कमेटी को हस्तान्तरित किया जाना उचित है ले–आउट कमेटी द्वारा पारित किये समस्त प्रकरणों को आगामी प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे अवलोकनार्थ रखा जायेगा। इस बाबत् प्रकरण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के समक्ष वास्ते अवलोकन, अनुमोदन व निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुमोदन किया।** **1. प्रकरण ले–आउट कमेटी में निर्णित करने के बाद अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराना होगा।** **2. ऐसे समस्त प्रकरण आगामी बोर्ड की बैठक में भी बोर्ड के अवलोकनार्थ रखे जायेगें।**	उपायुक्त उत्तर/दक्षिण अशोक कुमार चौधरी उपायुक्त अ०वि०प्रा०, अजमेर हरिताभ कुमार आदित्य उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

रिजर्व पुलिस लाईन अजमेर हेतु भूमि आवंटन प्रस्ताव पर चर्चा।	प्रभारी भूमि आवंटन

जिला पुलिस अधीक्षक–अजमेर का पत्र क्रमांक अजम/भूमि/2022/1357 दिनांक 19.09.2022 व 1370 दिनांक 21.09.2022 प्राप्त हुआ जिसमे उन्होने थोक मालियान प्रथम मे स्थित रिजर्व पुलिस लाईन की भूमि को पुलिस लाईन अजमेर को आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया।

जिला कलक्टर महोदय, अजमेर ने आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व/ 2022/339 दिनांक 14.09.2022 द्वारा अजमेर थोक मालियान प्रथम के खसरा नम्बर 3259 रकबा 54–05–00, खसरा नम्बर 3260 रकबा 01–06–10, खसरा नम्बर 3437 रकबा 00–07–00, खसरा नम्बर 3438 रकबा 00–05–10, खसरा नम्बर 3439 रकबा 00–03–10, खसरा नम्बर 3445 रकबा 00–05–00, खसरा नम्बर 3446 रकबा 00–04–00, खसरा नम्बर 3447 रकबा 00–09–00, खसरा नम्बर 3448 रकबा 00–09–10, खसरा नम्बर 3449 रकबा 00–06–10, खसरा नम्बर 3450 रकबा 00–07–00, खसरा नम्बर 3451 रकबा 01–14–10, खसरा नम्बर 3453 रकबा 00–03–10, खसरा नम्बर 3454 रकबा 01–00–00, खसरा नम्बर 3464 रकबा 08–08–10, खसरा नम्बर 3466 रकबा 00–15–10, खसरा नम्बर 3467 रकबा 01–04–10, खसरा नम्बर 3468 रकबा 00–17–00 कुल किता 18 रकबा 64–12–00 की भूमि पर पुलिस विभाग के कार्यालय पुलिस लाईन आवास, शस्त्रागार, परेड़ ग्राउंड, मोटर गैराज, शहिद स्मार्क, राजकीय भवन, बने हुए होने से पुलिस लाईन अजमेर को आवंटित किये जाने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये। उक्त आदेश की पालना मे नामान्तरण संख्या 336 दिनांक 20.09.2022 द्वारा राजस्व रिकॅार्ड मे अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का नाम दर्ज किया जा चुका है। (आदेश की प्रति संलग्न है)

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि पर कोई वाद/स्थगन नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण की किसी भी योजना अन्तर्गत न तो अवाप्त है और ना ही अवाप्तधीन है।

नियमन शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा किसी भी भूखण्ड का नियमन नही किया गया है।

तहसीलदार अविप्रा के द्वारा दिनांक 22.09.2022 को टीम के साथ मौका देखा गया प्रस्तावित भूमि कुल किता 18 रकबा 64–12–00 बीघा मे खसरा नम्बर 3464, 3466 व 3468 का आंशिक भाग ही शामिल है जिसका पूर्ण क्षेत्रफल साईट प्लान तैयार कर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

भूमि की जांच नियोजन शाखा से कराई जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि अजमेर थोक मालियान की उक्त भूमि जिस पर पुलिस लाईन बनी हुई है का मास्टर प्लान में भू उपयोग राजकीय आरक्षित (आशिंक), आवासीय (आंशिक), सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय (आंशिक) दर्ज है। मास्टर प्लान प्रावधान अनुसार राजकीय उपयोग समस्त भू–उपयोग व सडको की चौडाई पर सक्षम स्तर द्वारा पूर्वानुमती प्राप्त किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय है।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्वेश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत् जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने पुलिस लाईन अजमेर हेतु 64–12–00 बीघा भूमि आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि राज्य सरकार के स्तर से ही आवंटित की जा सकती है।

अतः पुलिस लाईन अजमेर को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर द्वारा उक्त आदेश द्वारा हस्तान्तरित भूमि किता–18 रकबा 64–12–00 की भूमि मे से किता–15 रकबा 54–11–00 की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 3464, 3466 व 3468 किता–3 रकबा 10–01–00 की भूमि का आंशिक भाग का साईट प्लान तैयार होने के उपरान्त उपलब्धता के अनुसार निःशुल्क आवंटित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में विचारार्थ, अनुमोदन व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

अशोक कुमार चौधरी
उपायुक्त
अविप्रा, अजमेर

	सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम के साउथ ब्लॉक के बैसमेन्ट हॉल में मल्टीजिम लगाने की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का पुष्टि प्रकरण। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संस्था 332–01–(2022–23) 21.03.2022 के अन्तर्गत संभागीय मुख्यालय पर मल्टीजिम लगाये जाने है। इस संबंध में जिला खेल अधिकारी के पत्र क्रमांक 357 दिनांक 20.04.2022 द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम (चन्द्रवरदाई) के साउथ ब्लॉक में स्थित बिल्डिंग के बैसमेंट हॉल मे मल्टीजिम लगाने हेतु चयन किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा साउथ ब्लॉक में स्थित बिल्डिंग के बैसमेंट हॉल मे मल्टीजिम लगाने हेतु निम्न शर्तों की पालना के साथ बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में NOC जारी की गई। 1. बैसमेंट हॉल का स्वामित्व अजमेर विकास प्राधिकरण का यथावत रहेगा। 2. बैसमेंट हॉल एवं मल्टीजिम के उपकरणो की चौकीदारी एवं रखरखाव व टूट–फूट की स्थिति में मरम्मत का कार्य खेल विभाग द्वारा ही किया जायेगा। 3. बैसमेंट हॉल में बिजली एवं पानी कि व्यवस्था स्वयं खेल विभाग को करनी होगी। 4. बैसमेंट हॉल के मल्टीजिम का उपयोग अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम हेतु निर्धारित समय के दौरान ही किया जा सकेगा। 5. किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। अतः खेल अधिकारी अजमेर को जारी की गई अनापत्ति की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत है। **निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।**	निदेशक अभियांत्रिकी (A... Kumar) Director Engineering A.D.A., Ajmer
7	**चन्द्रवरदाई नगर में स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल ग्राउंड क्रिकेट नेटस के एम.ओ.यू. की पुष्टि बाबत्।** अजमेर डिस्ट्रीक्ट क्रिकेट एसोसियेशन द्वारा निवेदन किया गया है कि अजमेर के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रेक्टिस के लिये कोई जगह नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिये अजमेर जिला क्रिकेट संघ चन्द्रवरदाई क्रिकेट मैदान पर स्थित क्रिकेट नेटस का एम.ओ.यू. करने के इच्छुक है। अजमेर शहर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिये खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान कराना चाहता है यदि एम.ओ.यू. होने पर इस मैदान पर शीघ्र ही खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय सुविधाऐं उपलब्ध करा कर कोचिंग दी जायेगी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल ग्राउंड में स्थित क्रिकेट नेट प्रैक्टिस ऐरिया (95.00 मीटर X 41.50 मीटर संलग्न साईट प्लान अनुसार) को क्रिकेट खिलाड़ियों की सुविधा के लिये अजमेर जिला क्रिकेट ऐसोसियेशन के साथ सक्षम स्तर से प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 31.05.2022 को एम.ओ.यू. किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल नगर में स्थित क्रिकेट नेट प्रैक्टिस ऐरिया जिसमें की मौके पर नेट,	निदेशक अभियांत्रिकी

	पिच आदि बने हुये है, को यथास्थिति में अजमेर जिला क्रिकेट ऐसोसियेशन को दिनांक 03.06.2022 को सम्भलाया गया। डिस्ट्रीक्ट क्रिकेट एसोसियेशन के साथ किये गये एम.ओ.यू. की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण बैठक के समक्ष प्रस्तुत है। **निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।**	
8	समाचार पत्र दैनिक आधुनिक अजमेर को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत। दैनिक आधुनिक अजमेर समाचार पत्र की सम्पादिका सुषमा अग्रवाल ने प्रेस एवं कार्यालय भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि महाराणा प्रताप नगर अथवा पत्रकार कॉलोनी कोटड़ा में आवंटन किये जाने हेत दिनांक 14.11.2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र अनुसार नियोजन शाखा की रिपोर्ट के आधार पर कोटड़ा आवासीय योजना में 1000 वर्गमीटर भूमि दिये जाने हेतु नगर सुधार न्यास, अजमेर की बैठक दिनांक 22.03.2013 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बैठक में प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्थगित कर दिया गया। आवेदक ने दिनांक 12.06.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर समाचार पत्र दैनिक आधुनिक अजमेर को भूमि आवंटित किये जाने हेतु पुनः निवेदन किया। अजमेर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 26.02.2014 में प्रस्ताव संख्या 2014 (1)—17(3) पर प्रकरण पुनः प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 26.02.2014 के निर्णय के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में निगरानी याचिका संख्या 1050/2020 प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा निगरानी याचिका संख्या 1050/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 में गैर निगरानीकर्ता अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की बैठक दिनांक 26.02.2014 में निगरानीकर्ता बाबत् पारित प्रस्ताव संख्या 2014 (1)—17(3) को निरस्त किया जाकर प्रकरण गैर निगरानीकर्ता अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये की निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सुनवाई करते हुए तदुपरान्त प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जाकर शीघ्र न्यायोचित व विधि अनुरूप निर्णय पारित कर प्रकरण का निस्तारण करें। माननीय न्यायालय, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 की पालना में निगरानीकर्ता सम्पादक, दैनिक आधुनिक अजमेर को दिनांक 31.03.2022 को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सुनवाई की जा चुकी है तथा वांछित दस्तावेज निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत कर दिये गये है। नगर सुधार न्यास, अजमेर की बोर्ड बैठक दिनांक 22.03.2013 में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 2013—1(55) द्वारा समाचार पत्र दैनिक आधुनिक, अजमेर को प्रस्तुत प्रस्ताव में पत्रकारों को आवंटित आवासीय भूखण्डों के सामने स्थित नगर सुधार न्यास, अजमेर की कोटड़ा योजना में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु	प्रभारी भूमि आवंटन अशोक कुमार चौधरी उपायुक्त

प्रस्तावित की गई थी। उक्त प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया तथा प्राधिकरण, अजमेर की बोर्ड बैठक दिनांक 26.02.2014 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजन/विभागों को भूमि आवंटन हेतु वर्ष 2011 में आवंटन नीति बनाई थी इसके पश्चात वर्ष 2015 में नई आवंटन नीति बनाकर पूर्व मे जारी समस्त नीतियों को निरस्त करते हुये निर्देश दिये थे कि अब जितने भी भूमि आंवटन भविष्य में किये जायेगे वो केवल नई भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत ही होगें। इस नई आवंटन नीति में प्रेस को भूमि आवंटन बाबत किसी भी तरह का उल्लेख नही है।

अशोक कुमार चौधरी
उपायुक्त
अ०वि०प्रा०, अजमेर

अतः माननीय न्यायालय, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 11.08.2021 की पालना में प्रकरण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रभारी अधिकारी आवंटन ने प्रकरण में समस्त तथ्यों का समावेश नही किया है। अतः प्रकरण में निदेशक विधि एवं प्रभारी अधिकारी आवंटन की दो सदस्यों की समिति बनाई जाती है जो प्रार्थी के आवेदन पर सुनवाई कर वर्तमान में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत भूमि आवंटन बाबत अपना मत एक माह के अन्दर—अन्दर प्रस्तुत करेगी। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण आगामी बैठक में सम्पूर्ण तथ्यों व स्पष्ट अनुशंषा के साथ विचारार्थ प्रस्तुत की जावें।

9 अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से । निदेशक विधि

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से निदेशक विधि अविप्रा ने निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव— सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत **निदेशक विधि ने बोर्ड को अवगत कराया कि** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की पैरवी हेतु राज्य सरकार द्वारा पैनल अधिवक्ता नियुक्त नहीं हैं तथा ना ही प्राधिकरण स्तर पर पैनल अधिवक्ता नियुक्त हैं। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में प्राधिकरण के विरूद्ध विचाराधीन स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) संख्या 9125/2022 उनवान श्रीमती ललिता देवी बनाम जिला कलेक्टर अजमेर व अन्य में राज्य सरकार से अधिवक्ता नियुक्ति बाबत् पत्र क्रमांक 6502 दिनांक 12.08.2022 से निवेदन किया गया। जिस पर राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर के द्वारा पत्र क्रमांक प.12(188) नविवि/विविध/2010 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा निर्देश दिये हैं कि प्रकरण में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग पक्षकार नहीं हैं। अतः विधि विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी आदेशों/निर्देशों के मध्येनजर प्राधिकरण के द्वारा अपने स्तर पर ही बोर्ड प्रस्ताव लिया जाना सुनिश्चित करें।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी के लिये श्री

अजय सिंह, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (Enrollment No. R/1103(i)/2011) को अविप्रा के लिए एनपेनल किया जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। निर्णयः– प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।	

बैठक अन्त में सहधन्यवाद समाप्त हुई।

कमेटी के सदस्य

श्री अंशदीप
अध्यक्ष अ.वि.प्रा, अजमेर।

श्री अक्षय गोदारा,
आयुक्त, अ.वि.प्रा,
अजमेर

श्री अंशदीप
जिला कलक्टर, अजमेर

श्री किशोर कुमार,
सचिव,
अ.वि.प्रा अजमेर

श्री सुधीरचन्द कुमार उपाध्याय
अधिक्षण अभियंता विद्युत वितरण
निगम, लिमिटेड़ अजमेर।

श्री अशोक तंवर
अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक
निर्माण विभाग। अजमेर

श्री मुकेश मित्तल
वरिष्ठ नगर *नियोजक, अजमेर*

श्री कमल पाठक,
अध्यक्ष नगर पालिका पुष्कर,
अजमेर

श्री राजीव कुमार
अधीक्षण अभियंता,
जन स्वास्थ अभियांत्रिकी
विभाग, अजमेर

क्रमांक / अ.वि.प्रा / संस्था / प.1 / 2022 / 8308-24 दिनांक 7-10-2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत / प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, महापौर, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सचिव, जिला प्रमुख, अजमेर
8. सभापति, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
9. सभापति, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
10. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, निगम लि., अजमेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर।
12. मुख्य प्रबंधक, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
13. उपायुक्त उत्तर / दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
14. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
15. निदेशक अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
16. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
17. उप नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

(किशोर कुमार)
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर